प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 15.04.2025

निर्णय पारित किया गया : 25.04.2025

दाण्डिक अपील सं : 1795/2019

कांशीराम साहू पिता नीलकंठ साहू, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम मोपर, निवासी पिता सुहेला, जिला–बलौदा, बाजार–भाटपारा (सी. जी.)

---अपीलार्थी

(जेल में)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना सिटी कोटवाली के द्वारा , जिला–बलौदा बाजार–भाटपारा (सी. जी.)

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं : 1808/2019

श्रीमती सावित्री वैष्णव पति संजय वैष्णव, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी लोहिया नगर, बलौदा बाजार, पुलिस स्टेशन – सिटी कोतवाली, बलौदा बाजार, जिला – बलौदा बाजार – भाटापारा (सीजी)

--- अपीलार्थी (जेल में)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना सिटी कोटवाली के द्वारा , जिला–बलौदा बाजार–भाटपारा (सी. जी.)

---- उत्तरवादी

तथा

दाण्डिक अपील सं : 76/2020

हेतराम साहू पिता स्वर्गीय पहरूराम साहू, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम मोपार, थाना सुहेला, जिला बलौदा बाजार–भाटापारा (छ.ग.)

---अपीलार्थी (जेल में)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना सिटी कोटवाली के द्वारा , जिला–बलौदा बाजार–भाटपारा (सी. जी.)

–––––उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :––श्री राजेश जैन (विधिक सहायता के माध्यम से), श्रीआदिल मिन्हाज अधिवक्ता तथा श्री टी. हेतु. झा,अधिवक्ता,श्री एन. पी. ठाकुर,अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी हेतु :–––सुश्री प्रज्ञा पांडे, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल,न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

संजय एस. अग्रवाल न्यायाधीश के अनुसार,

1. चूंकि ये सभी अपीलें सत्र विचारण संख्या 05/2018 में तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलोदाबाजार (सीजी) द्वारा दिनांक 04.10.2019 को पारित सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनका निराकरण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और उन्हें निम्नानुसार दंड पारित किया गया :–––––

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता कि धारा 302/34	आजीवन कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास।
भारतीय दंड संहिता कि धारा 201/34	तीन वर्ष कठोर कारावास और 500 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास।
	दोनों दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष के प्रकरण के तथ्य यह हैं कि19.09.2017 को जिला अस्पताल, बलौदाबाजार के एक वार्ड बॉय ने पुलिस थाना– सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार में मर्ग (एक्स पी–12) दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि मृतक राजा उर्फ संजय वैष्णव को उसकी पत्नी श्रीमती सावित्री बाई मृत अवस्था में लेकर आई थी और अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि उक्त सावित्री बाई के अपीलकर्ता हेतराम साहू के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण वह अक्सर उसके घर आता–जाता था।आगे आरोप है कि 18.09.2017 को उक्त अपीलकर्ता ने दूसरे आरोपी पप्पू उर्फ काशी साहू के साथ मिलकर शराब खरीदी और लोहिया नगर, बलोदाबाजार स्थित मृतक के घर आया।आगे आरोप है कि घर में मृतक ने अपनी पत्नी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे हेतराम साहू क्रोधित हो गया और उसने मृतक की हत्या करने के आशय से क्रिकेट बल्ले से उसके सिर पर प्रहार किया, जबकि अन्य, अर्थात् पप्पू उर्फ काशी साहू और मृतक की पत्नी सावित्री बाई ने उसके कथित कृत्य का समर्थन किया।कथित हमले के कारण उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया।

3. मृतक के शव की मृत्यु– समीक्षा (एक्स पी–2) 19.09.2017 को की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो डॉ. प्रशांत वर्मा (पीडब्ल्यू–12) द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (एक्स पी–22) में मृत्यु का कारण रक्तस्राव और सदमा बताया, जो किसी कठोर और कुंद वस्तु से सिर में लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुआ था।मृतक की नाबालिग बेटी रिया का बयान 19.09.2017 को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था, जबकि नाबालिग पुत्र लकी उर्फ तुषार वैष्णव (पीडब्ल्यू–4) का बयान (एक्स.पी–8) 21.09.2017 को दर्ज किया गया था। अन्य लोगों के बयान दर्ज करने और संयुक्त जांच के आधार पर, 21.09.2017 को अपराध संख्या 392/2017 के संबंध में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 302, 201 और 109 के साथ धारा 34 के तहत एफआईआर (एक्स.पी–26) दर्ज की गई थी।अपीलकर्ताओं को 21.09.2017 को गिरफ्तार किया गया था और अपीलकर्ता हेतराम साहू के बयान (एक्स पी–17) के आधार पर, दो गवाहों, राजेंद्र कुमार और नीलकंठ की उपस्थिति में, जब्ती ज्ञापन (एक्स पी–19) के तहत एक खून से सना बल्ला बरामद किया गया था, जबकि उसके सफेद–काले (चेक) रंग के कपड़े (शर्ट) (एक्स पी–21) और खून से सनी नीली चप्पलें दूसरे आरोपी पप्पू उर्फ काशी साहू से उसकी सूचना पर 21.09.2017 को जब्ती ज्ञापन (एक्स पी–20) के तहत, उसके बयान (एक्स पी18) के आधार पर बरामद की गई थीं। कथित जब्त वस्तुओं और खून से सने पर्दे (पर्दा) की जांच रिपोर्ट (एक्स पी–23) 19.10.2017 को तैयार की गई और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी गई, जहां वस्तुओं, अर्थात् क्रिकेट बल्ले (जिसे "ई"" के रूप में चिह्नित किया गया है) और कपड़ों (जिसे "एफ–1" के रूप में चिह्नित किया गया है) पर मानव रक्त पाया गया। हेतराम साहू का "एफ–2" और "ए" के रूप में चिह्नित "कागज" जिसे घटनास्थल से बरामद किया गया था, और एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी–38) के अनुसार कथित "बैट" और "कागज" से रक्त समूह "ओ" का पता चला था।सामान्य अन्वेषण पूरी होने के बाद, भा.दं. सं. की धारा 302, 201 और 109 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ बलौदाबाजार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और, इसके बाद, प्रकरण को विचारण न्यायालय में भेज दिया गया,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहां उनके खिलाफ भा.दं. सं. की धारा 120–बी, 302/34 और 201/34 के तहत आरोप निर्धारित किए गए हैं, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया तथा विचारण कि मांग की।

4. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए 17 साक्षीयों का परीक्षण किया और 38 दस्तावेज पेश किए, जबकि अपीलकर्ताओं ने अपने बचाव में 2 साक्षीयों का परीक्षण किया।

5. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से बाल साक्षी तुषार (पीडब्लू 4) के बयान पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें ऊपर उल्लिखित दंड पारित किया गया है । इससे असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि विचारण न्यायालय का यह निर्णय कि अपीलकर्ता कथित अपराध के लिए दोषी हैं, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के स्पष्ट रूप से विपरीत है।मृतक की पुत्री रिया के बयान (एक्स पी/ –9) का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उसका बयान 19.09.2017 को दर्ज किया गया था जिसमें अपीलकर्ताओं के नाम सामने आए थे, लेकिन अपीलकर्ताओं को उस दिन गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही उसके तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, बल्कि इसके बजाय इसे 21.09.2017 को बिना कोई उचित स्पष्टीकरण दिए दर्ज किया गया था, इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को कथित अपराध के संबंध में झूठा फंसाया गया है।बाल साक्षी तुषार (पीडब्ल्यू–4) के बयान का उल्लेख करते हुए , यह तर्क दिया गया है कि कथित अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया क्रिकेट बैट कथित हमले के कारण टूट गया था, लेकिन एक पूरा बैट बरामद किया गया (प्रदर्श पी–19), इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कथित बैट का इस्तेमाल कथित अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया था।उक्त बाल साक्षी तुषार (पीडब्ल्यू–4) के धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान (एक्स.पी–8) का उल्लेख करते हुए , जिसमें उसने कहा है कि उसके पिता नशे की हालत में थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी–16) में न तो शराब की गंध और न ही उसका कोई अंश पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय के समक्ष दर्ज उसके (पीडब्ल्यू–4) बयान और सीआरपीसी के धारा 161 के तहत दर्ज उसके बयान (एक्स.पी–8) में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि उनके बयान की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं हुई है, इसलिए उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।उनका यह भी तर्क है कि उक्त बाल साक्षी को उसके चाचा (फूफा) और चाची (बुआ) ने सिखाया–पढ़ाया था, इसलिए उसके बयान अविश्वसनीय है और कथित अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उसे ध्यान में नहीं लिया जाना चाहिए था।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश का समर्थन किया है।

8. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुना और संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी, 302/34 और 201/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का आरोप पत्र दायर किया गया है, जो 18.09.2017 की रात को हुई घटना से संबंधित है, जिसमें मृतक पर अपीलकर्ता हेतराम साहू ने क्रिकेट बल्ले से सिर पर प्रहार किया गया था।मृतक द्वारा अपनी पत्नी सावित्री बाई के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर हेतराम साहू ने कथित तौर पर हमला किया था। इस हमले में पप्पू उर्फ काशी साहू और मृतक की पत्नी ने भी उसका साथ दिया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस कथित अपराध के पीछे का 'उद्देश्य हेतराम साहू और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। मृतक द्वारा पत्नी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर हेतराम साहू क्रोधित हो गया और उसने क्रिकेट बल्ले से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

10. कथित आरोपों को साबित करने के लिए, मृतक के जीजा कुंदन माने को पीडब्लू––1 के रूप में पेश किया गया, जिन्होंने अपने मित्र निर्मल कुमार प्रजापति से कथित घटना की सूचना प्राप्त करने पर वहां पहुंचकर अपने जीजा संजय वैष्णव का खून से लथपथ शव देखा और उनकी पत्नी सावित्री बाई उनके पास बैठकर रो रही थीं। वह अपने उक्त मित्र के साथ उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और अगले दिन सुबह, यानी 19 सितंबर, 2017 को लगभग 4.00 बजे, मृतक के बच्चे, तुषार और रिया, पुलिस के पास आए और घटना का ब्योरा देते हुए बताया कि उनके पिता पर साहू चाचा ने क्रिकेट बल्ले से सिर पर हमला किया था, जबकि पप्पू चाचा ने उनकी गर्दन को अपने पैर से दबाया था और मां सावित्री बाई ने भी उनके पिता पर हमला किया था।उसके बयान से यह भी पता चलता है कि कथित घटना से दो महीने पहले मृतक की पत्नी सावित्री बाई, अपीलकर्ता हेतराम साहू के साथ भाग गई थी, लेकिन उसके इस बयान का उल्लेख धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज उसके बयान (एक्स. डी–1) में नहीं मिलता है। उसके बयान से यह भी प्रतीत होता है कि उसे 19.09.2017 को सुबह लगभग 7–8 बजे पता चला कि संजय वैष्णव की मृत्यु कैसे हुई। प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मृतक के बच्चों ने उन्हें यह नहीं बताया था कि उनके पिता पर किसने और कैसे हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. निर्मल कुमार प्रजापति (पीडब्ल्यू–6) मृतक के बहनोई (कुंदन माने) का दोस्त था, जिसने उसे कथित घटना के बारे में सूचित किया और मृतक को अपनी स्कूटी से अस्पताल ले गया।

12. मृतक संजय वैष्णव की बहन श्रीमती संजीता माने (पीडब्लू–3) को अपने पति कुंदन माने (पीडब्लू–1) से अपने भाई की मृत्यु की सूचना मिलने पर 19 सितंबर, 2017 की सुबह अस्पताल पहुंचीं। अस्पताल में मृतक के बच्चे सुबह 8 बजे ईश्वर के साथ आए और पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान पता चला कि उनके पिता पर उनकी मम्मी (सावित्री बाई), साहू चाचा और पप्पू ने बल्ले से हमला किया था। आगे यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता हेतराम साहू ने उनके पिता के सिर पर बल्ले से वार किया और फिर उन्हें घसीटकर दूसरे कमरे में ले गया, जहां उनकी मम्मी ने भी बल्ले से उन पर हमला किया, जबकि पप्पू ने उनके गले को पैर से दबा दिया था। हालांकि, कंडिका 18 में दिए गए उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि उनका बयान पुलिस द्वारा दिनांक 19 को दोपहर में दर्ज किया गया था, लेकिन उस समय तक उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उनके भाई की मृत्यु

कैसे हुई, और न ही उन्होंने पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर किसी के सामने कोई संदेह व्यक्त किया। उनके बयान से यह भी पता चलता है कि शव के पोस्टमार्टम से पहले ही उन्हें यह जानकारी थी कि उनके भाई की हत्या अपीलकर्ताओं ने की थी, लेकिन न तो उन्होंने इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही अपनी भाभी (सावित्री बाई) के उक्त अपीलकर्ता हेतराम साहू के साथ कथित अवैध संबंधों के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई।इसलिए, उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

13. भुवनेश्वर साहू (पीडब्लू–2) मृतक का किरायेदार है और उसके अनुसार, मृतक की पत्नी ने दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 11.30 बजे उसकी पुत्री रिंकू को पुकारते हुए उसका दरवाजा खटखटाया और बताया कि उसके चाचा (मृतक) गिर गए हैं। यह सूचना मिलते ही वह तुरंत उसके घर पहुंचा, जहां मृतक फर्श पर पड़ा मिला और उसके सिर से खून बह रहा था। मृतक के बच्चों की देखभाल के लिए वह घर पर ही रुका रहा।उनके कथन से यह भी पता चलता है कि जब पड़ोसियों ने मृतक के बच्चों से कथित घटना के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि साहू चाचा ने क्रिकेट बल्ले की मदद से उनके पिता पर हमला किया था, और उनकी प्रतिपरीक्षा में, कंडिका 7 में, यह कहा गया कि उन्होंने बच्चों से यह नहीं सुना था कि साहू चाचा ने हमला किया था, बल्कि उन्हें इस कथित तथ्य के बारे में दूसरों से पता चला था।इस प्रकार, उन्होंने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किए बिना ही पक्षद्रोही हो गये ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. लकी @ तुषार वैष्णव (पीडब्लू––4) मृतक का नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है और उसके अनुसार, उसके पिता पर साहू चाचा ने क्रिकेट बल्ले से हमला किया था, जिसके कारण बल्ला टूटकर टुकड़े-टुकड़े हो गया और बल्ले के टुकड़ों से उसके पैर और पीठ पर वार किया गया और उसे कमरे से बाहर घसीटकर उसकी गर्दन दबा दी गई थी।उसने आगे बयान दिया कि दोनों चाचाओं (साहू चाचा और पप्पू चाचा) ने उसकी गर्दन दबाई, जबकि माँ ने बल्ले से उस पर हमला किया।उसने और उसकी बहन रिया ने टूटे हुए दरवाजे से यह घटना देखी जब उसके पिता को वे पीट रहे थे।अपीलकर्ता हेतराम की ओर उंगली उठाते हुए उसने बताया कि वह अपने पिता के लिए रोज़ शराब लेकर घर आता था, जो बहुत शराब पीते थे। घटना वाले दिन वह नशे की हालत में था और उसने आगे बताया कि उसकी मां और बुआ श्रीमती संजीता माने आपस में बात नहीं करती थीं।उसके बयान से यह भी पता चलता है कि वह और उसकी बहन अपने पिता के साथ सोते थे, जबकि मां साहू चाचा के साथ सोती थीं।

15. राजेंद्र कुमार कुर्रे (पीडब्ल्यू–9) जब्ती ज्ञापनों (एक्स.पी–19 से पी–21) के साक्षी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ, न ही नहर के पास कथित हथियार की बरामदगी के लिए कोई कार्यवाही की गई, जहां कथित तौर पर अपीलकर्ता हेतराम साहू के कहने पर अपराध का हथियार बरामद किया गया था, और न ही कपड़े बरामद किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही सभी कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे और आगे बयान दिया कि पुलिस ने उन्हें सूचित किया था कि वे कथित चप्पलें बरामद कर रहे हैं और उनके निर्देशों के अनुसार, उन्होंने कथित जब्ती ज्ञापनों (एक्स.पी–19 से पी–21) पर हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह, एक अन्य गवाह, नीलकमल जांगडे (पीडब्ल्यू–10) का भी यही बयान है।इस

प्रकार, इन दोनों सत्यापित करने वाले साक्षीयों ने अभिकथित जब्ती ज्ञापन (एक्स. पी–19 से पी–21) का समर्थन नहीं किया है।

16. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. प्रशांत वर्मा (पीडब्लू–12) ने मृत्यु का कारण हत्या बताया है। हालांकि, उन्हें मृतक के शरीर के भीतर शराब या उससे संबंधित किसी भी पदार्थ की गंध नहीं मिली है। अन्य लोगों के बयान औपचारिक प्रकृति के हैं।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विचारण न्यायालय ने बाल साक्षी तुषार (पीडब्ल्यू–4) पर भरोसा किया और यह मानते हुए कि कथित ज़ब्ती मेमो (एक्स पी/–19 से पी–21) को उसके प्रमाणित करने वाले साक्षीयों द्वारा सिद्ध हो गए थे, साथ ही एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/–38) में रक्त समूह ""ओ"" का पता चला था जो घटनास्थल से बरामद कथित वस्तुओं, अर्थात् 'बैट' ('ई') और 'कागज' ('ए') से मेल खाता था, अपीलकर्ताओं को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से बाल साक्षी तुषार (पीडब्लू 4) के कथन पर भरोसा किया और अपीलकर्ताओं को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।इस प्रकार, पूरा प्रकरण उसके कथन पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अतः इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि,"क्या उक्त बाल साक्षी के आधार पर अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है और/या क्या उसका बयान संकारक साक्ष्यों, जैसे कि ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –19 से पी–21), एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/ –38) और मृतक संजय वैष्णव के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. प्रशांत वर्मा (पी. डब्ल्यू–12) के बयान से विधिवत रूप से पुष्ट होता है?"

20. इस समय यह देखना आवश्यक है कि उक्त बाल साक्षी के परीक्षण से पहले, निचली अदालत ने यह पता लगाने के लिए कि क्या वह बयान देने के लिए सक्षम है या नहीं, उससे 7 प्रश्न पूछे थे। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 7 प्रश्नों में से, वह एक प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहा, जिसमें उससे पूछा गया था, "तुम कहाँ से आए हो?", और उसने इस प्रश्न का उत्तर "पता नहीं" दिया।फिर भी विचारण न्यायालय ने अपनी राय दर्ज की है कि वह इस संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज किए बिना भी बयान देने के लिए सक्षम प्रतीत होता है।इस समय यह देखना आवश्यक है कि प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत क्या हैं, जो 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 777 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि बाल साक्षी के साक्ष्य दर्ज करने से पहले, विचारण न्यायालय को अपनी राय और संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि बाल साक्षी सच बोलने के कर्तव्य को समझता है और उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह इस राय का क्यों है।कंडिका 8 से 10 में इस संबंध में की गई सुसंगत टिप्पणियों को नीचे पढ़ा जा सकता है:

"8. .....हालाँकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 की आवश्यकता को देखते हुए, विद्वान विचारण करने वाले न्यायाधीश का यह कर्तव्य था कि वे यह राय दर्ज करें कि बच्चा पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और वह उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।विद्वान विचारण करने वाले न्यायाधीश को यह भी दर्ज करना होगा कि बाल साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है और यह बताना होगा कि वे इस राय के क्यों हैं कि बच्चा सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है।"

9. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल साक्षी के कथन की पुष्टि करना कोई नियम नहीं बल्कि सावधानी और विवेक का उपाय है।कम उम्र का बाल साक्षी आसानी से शिक्षा से प्रभावित हो सकता है।हालांकि, केवल यही बाल साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है।न्यायालय को बाल साक्षी के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या बाल साक्षी को सिखाया–पढ़ाया गया है।अत: न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और सतर्कतापूर्वक जांच करनी चाहिए।

10. किसी नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नाबालिग पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है।न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है तथा सत्य बोलने के महत्व को समझता है।इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।उन्हें उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग की उचित प्रारंभिक परीक्षा करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नाबालिग पूछे गए प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को अभिलेख करना उचित है ताकि अपीलीय विचारण न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय की सत्यता की जांच कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस मामले में, विचारण न्यायालय ने उक्त बाल साक्षी तुषार (पीडब्लू–4) के बयान देने की योग्यता के बारे में अपनी राय और संतुष्टि दर्ज किए बिना ही, उसके बयान पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।फिर भी, चूंकि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उनके कथन पर भरोसा किया है, इसलिए हम उनके कथन की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके कथन अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

22. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनकी कथन (पीडब्लू–4) से पता चलता है कि उनके पिता पर अपीलकर्ता हेतराम ने क्रिकेट बल्ले से हमला किया था, जबकि पप्पू उर्फ काशी साहू ने उनके गले को अपने पैरों से दबाया था और उनकी मां (श्रीमती सावित्री बाई) ने भी बल्ले से उन पर हमला किया था और कथित क्रिकेट बल्ला टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था।उसके बयान से यह भी पता चलता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसके पिता नशे की हालत में थे और उसकी चाची (बुआ) और मां (सावित्री बाई) के बीच बातचीत बंद है।हालांकि, उसने यह बताया था कि उसकी मां ने उसके पिता पर बल्ले से हमला किया था, लेकिन उसका यह बयान धारा

161 सीआरपीसी के तहत दर्ज उसके बयान (एक्स पी/ –8) में नहीं मिला। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसके चाचा (फूफा/पीडब्लू––1) और चाची (बुआ/पीडब्लू––3), जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ने भी कहा है कि मृतक की पत्नी सावित्री बाई ने अपने पति पर बल्ले से हमला किया था।बाल साक्षी ने कहा–तुषार (पीडब्लू–4), जो 19 सितंबर, 2017 से न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज करने की तारीख तक उनके साथ था, यानी 18.09.2017 तथा उसकी चाची (बुआ– संजीता माने) अपनी माँ के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उनके द्वारा पढ़ाया गया था, अन्यथा उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता।इसके अलावा, कथित बल्ले के इस्तेमाल के संबंध में और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसके पिता की नशे की हालत के बारे में उसके बयान में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं, और इस तथ्य को उसके बयान की जांच करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यही अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार है।उनके अनुसार, जब उनके पिता पर कथित क्रिकेट बल्ले से हमला किया गया, तो वह बल्ला टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया, हालांकि, जब्ती के दस्तावेजों (एक्स पी/–19 से पी–21) से स्पष्ट है कि टूटा हुआ बल्ला बरामद नहीं हुआ।इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कथित जब्ती की पुष्टि उसके साक्षी, राजेंद्र कुमार कुर्रे (पीडब्लू–9) और नीलकमल जांगडे (पीडब्लू–10) द्वारा नहीं की गई।इसके अतिरिक्त, उनके पिता नशे की हालत में थे, लेकिन डॉ. प्रशांत वर्मा (पीडब्लू–12) द्वारा किए गए उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/ –22) में न तो शराब की गंध पाई गई और न ही उसका कोई पदार्थ।अतः, उनके बयान में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं और जब तक ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह परीक्षा आवश्यक है कि क्या उनके बयान की पुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से होती है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/–38) के अनुसार, घटनास्थल से बरामद कथित वस्तुओं, "बैट" (जिस पर " "ई"" अंकित है) और "कागज" (जिस पर ""ए" अंकित है) में रक्त समूह ""ओ" पाया गया।परंतु , अभिलेख की बारीकी से परिक्षण करने पर, हमें घटनास्थल से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार कथित "कागज" की कोई बरामदगी नहीं मिली, जबकि इसे रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है।

24. यह बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ताओं – हेतराम साहू और पप्पू उर्फ काशी साहू से जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/–19 से पी–21) के माध्यम से कथित वस्तुओं की बरामदगी के बाद, घटनास्थल से बरामद किए गए रक्तरंजित पर्दे (पर्दा) के साथ जांच रिपोर्ट (एक्स पी/–23) तैयार की गई और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी गई।हालांकि, हमें घटनास्थल से कथित पर्दे (पर्दा) की कोई बरामदगी नहीं मिली है और अन्वेषण अधिकारी (पीडब्ल्यू–17) ने अपने बयान में, कंडिका 13 में, इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने कथित पर्दे (पर्दा) की बरामदगी नहीं की है।तो फिर ऐसी पूछताछ रिपोर्ट (एक्स पी/–23) कैसे तैयार की जा सकती थी या कथित "कागज़" और "पर्दा" को रासायनिक परीक्षण के लिए कैसे भेजा जा सकता था?इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने उक्त पूछताछ रिपोर्ट (एक्स पी/–23) तैयार करते समय जानबूझकर कथित पर्दे की बरामदगी दिखाई है, जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि

वह घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ था।इसलिए इस तरह की रिपोर्ट (एक्स पी/–38) पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

25. इस समय यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक की बेटी रिया का बयान (एक्स पी/9) 19.09.2017 को दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का खुलासा हुआ था, लेकिन न तो उन्हें उसी दिन गिरफ्तार किया गया, न ही इस बात का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिया गया कि उसके भाई (तुषार) से उसी दिन उसके साथ पूछताछ क्यों नहीं की गई और क्यों उनकी संलिप्तता की जानकारी होने के बावजूद एफआईआर 19.09.2017 के बजाय दो दिन की देरी से 21.09.2017 को दर्ज की गई और क्यों कथित वस्तुएं, अर्थात् पर्दा और कागज, बरामद न होने के बावजूद रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए।ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का दृष्टिकोण किसी न किसी तरह से अपीलकर्ताओं को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने के उद्देश्य से अपनाया गया प्रतीत होता है।

26. अतः, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण से, जैसे कि कथित वस्तुओं की बरामदगी (एक्स पी/–19 से पी–21) और एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/–38), यह स्पष्ट होता है कि उक्त बाल साक्षी का साक्ष्य न तो विश्वसनीय है और न ही भरोसेमंद, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे उसके चाचा और चाची (पीडब्लू––1 और पीडब्लू––3) द्वारा सिखाया गया है, और न ही यह अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित पाया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य पर विचार करने से पहले उसकी पुष्टि होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि पुष्टि पर जोर देना केवल विवेक का नियम है जो प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा है,(1997) 5 एससीसी 341 में प्रकाशित, जिसमें कंडिका 5 में कहा गया है, जो इस प्रकार है:–––

"5. .....बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को केवल एक ही सावधानी बरतनी चाहिए कि साक्षी विश्वसनीय हो, उसका व्यवहार अन्य सक्षम गवाहों जैसा हो और उसे सिखाया–पढ़ाया न गया हो।ऐसा कोई नियम या प्रथा नहीं है कि हर मामले में दोषसिद्धि से पहले ऐसे साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि की जाए, लेकिन विवेक के नियम के रूप में न्यायालय हमेशा अभिलेख में मौजूद अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से ऐसे साक्ष्य की पुष्टि कराना वांछनीय समझता है।"

28. पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, (1998) 7 एससीसी177 में रिपोर्ट किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बाल साक्षी के साक्ष्य को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो सकता है और उपदेश का शिकार बन सकता है। कंडिका 11 और 12 में की गई सुसंगत टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

"11. .....विधि के अनुसार, बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो जाता है और इस प्रकार बाल साक्षी को सिखाना–बुझाना आसान होता है।

12. न्यायालयों ने यह निर्धारित किया है कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसका पर्याप्त समर्थन होना आवश्यक है।यह विधि के नियम से अधिक व्यावहारिक ज्ञान का नियम है।

29. इसी प्रकार, **अरबिंद सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, जिसका उल्लेख 1995 अनुपूरक (4) एससीसी 416 में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 3 में निम्नलिखितकहा:–––**

3. ... इस बाल साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हमारा यह मत है कि उसकी कथन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। यह सर्वविदित है कि बाल साक्षी को सिखाया–पढ़ाया जा सकता है, इसलिए न्यायालय को साक्ष्य की पुष्टि करनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब साक्ष्य में सिखाने–पढ़ाने के संकेत मिलते हों।अतः, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता 1 संदेह का लाभ पाने का हकदार था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, और बाल गवाह तुषार (पीडब्लू–4) के बयान पर विचार करते हुए, जो न केवल धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज उसके बयान (एक्स.पी–8) के विपरीत पाया गया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बल्कि अन्य सहायक साक्ष्यों, जैसे कथित हथियार "बैट" की बरामदगी, और डॉ. प्रशांत वर्मा (पीडब्लू–12) द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी–22) से पता चलता है कि उसके मृतक पिता की नशे की हालत से भी मेल नहीं खाता, इसलिए, अपीलकर्ताओं पर कथित अपराध का आरोप लगाने के लिए उसके कथन पर भरोसा करना असुरक्षित होगा।अतः, अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

31. फलस्वरूप,इन अपीलों को स्वीकार किया जाता है और सत्र विचारण संख्या 05/2018 में बलौदाबाजार के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.10.2019 को पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंड का आदेश अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ताओं को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि वे किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक न हों।

32. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक जानकारी और कार्यवाही (यदि आवश्यक हो) के लिए भेजी जाए।निर्णय की एक प्रमाणित प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भी तत्काल भेजी जाए, जहां अपीलकर्ता कारावास की दंड भुगत रहे हैं।

सही/–

(संजय एस. अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/–

(राधाकिशन अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur